सत्यमेव जयते

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ(अलवर)

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान,आर.ए.एस)

वाद संख्या :– 03 / 106 / 2023 प्रवेश तिथि: 01.12.2023

1. प्रहलाद नारायण शर्मा पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राहमण ग्राम कोठी नारायण पुर, तहसील राजगढ जिला अलवर

.....प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार, राजगढ जिला अलवर।
2. गोविन्दा पुत्र बीरबल जाति मीना
3. बांकेलाल पुत्र बीरबल जाति मीना

4. मोहरपाल पुत्र बीरबल जाति मीना निवासीयान ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जिला अलवर
5. नारायण लाल पुत्र पांचूराम जाति बैरवा
6. पूरणमल पुत्र प्रभाती लाल जाति बैरवा निवासीयान ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136
सहपठित धारा 166 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला अलवर सत्यमेव जयते

–:निर्णय:– दिनांक 07-01-2025

आज यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 एवं 136 सहपठित धारा 166 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का वास्ते निर्णय पेश हुआ। सूक्ष्म वृतांत प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आराजी खसरा नं0 429/518 रकबा 0.04 हैक्ट0 वाकै ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी का पूर्व में खातेदार मूलचन्द पुत्र चन्दर 1/4 हिस्सा व बांकेलाल, मोहरपाल, गोविन्दा, पिता बीरबल 3/4 हिस्सा दर्ज खातेदारी था। जो जमाबन्दी सम्वत 2061 लगा0 64 खाता संख्या 71 के अंकित इन्द्राज से साबित है। उक्त जमाबन्दी के विशेष विवरण में अंकित नोट शुद्धि पत्र संख्या 1 दिनांक 20.01.2006 से उक्त आराजी का सम्पूर्ण खातेदार मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत 2061–64 खाता संख्या 71 मे अंकित नोट नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 23.02.2006 संपरिवर्तन खसरा नं0 429/518 रकबा 0.04 एंअर आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन स्वीकार है। इससे यह तथ्य साबित है कि खसरा नं0 429/518/0.04 एंअर खातेदार मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हो गई थी। संपरिवर्तन आदेश के संलग्न नक्शा में जो आराजी खातेदार मूलचन्द के नाम हुई उसका क्षेत्रफल उत्तर–दक्षिण 172–172 फुट व

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

पूर्व–पश्चिम 25.4–25.4 इंच हुई है। जो नक्शा रूपान्तरण तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा खातेदार मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना से उक्त सम्परिवर्तित आराजी खसरा नम्बर 429/518/0.04 हैक्ट0 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रार्थीगण द्वारा रामजीलाल पुत्र कन्नीराम हिस्सा 1925.08 वर्गफुट व रामस्वरूप पुत्र लालाराम हिस्सा 2431.68 वर्गफुट जाति ब्राहम्ण साकिन कोठी नारायणपुर द्वारा दिनांक 16.12.1995 को क्रय की गई जिसका नामान्तकरण संख्या क्रेता प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 189 दिनांक 20/04/2006 को दर्ज व स्वीकार हो चुके है। प्रार्थी रामस्वरूप पुत्र लालाराम जाति ब्राहम्ण द्वारा रामजीलाल पुत्र कन्नीराम जाति ब्राहम्ण की खातेदारी रकबा 1925.08 वर्गफुट भी जरिये बयनामा दिनांक 27.10.2005 के द्वारा क्रय कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 20.04.2006 के प्रार्थीगण के नाम स्वीकार हो चुके है। इस प्रकार प्रार्थीगण रामस्वरूप पुत्र लालाराम आराजी खसरा नं0 429/518/0.04 सम्पूर्ण रकबे का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी पूर्व खातेदार मूलचन्द जिसके द्वारा उक्त आराजी को तहसील राजगढ द्वारा आवसीय संपरिवर्तन कराई गई थी और सम्परिवर्तन आदेश जिस नक्शे के आधार पर हुआ था। उसी अनुसार खरीद दिनांक से काबिज है। प्रार्थी को पटवारी हल्का से रिकार्ड देखने पर अब जानकारी हुई है कि खसरा नं0 429/518/0.04 हैक्ट0 भूमि जो वर्तमान नक्शे में जो तरमीम कर दर्शाया हुआ है वह खिलाफ मौका व खिलाफ भूमि रूपान्तरण नक्शे के विपरित है। जो स्वीकार योग्य नहीं है जबकि प्रार्थी खरीद दिनांक से ही संपरिवर्तित आदेश के संलग्न नक्शे में दर्शाये अनुसार रकबे पर निर्विवाद काबिज चला आ रहा है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2069–2075 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) के आराजी खसरा नं0 429 रकबा 0.05 हैक्ट0 गै0मु0 आबादी ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जिला अलवर गोविन्दा, बांकेलाल, मोहरपाल पुत्रान बीरबल, हिस्सा 3/4 जाति मीना सा0 देह, नारायण पुत्र पांचुराम हि0 1/8 जाति बैरवा पूर्णमल सा0 भाखरी खातेदार के नाम दर्ज है। वर्तमान नक्शा ग्राम डाबला मीना में प्रार्थी के आ0ख0नं0 429/518 के पूर्व दिशा में लगते हुए आ0ख0नं0 429 की तरमीम कर रखी है जो मौका व संपरिवर्तन नक्शा के अनुसार नहीं कर रखी है। संपरिवर्तन नक्शा व मौके के अनुसार आ0ख0नं0 429/518 की तरमीम मूल ख0नं0 429 की उत्तरी मेड पर लम्बाई 172 फुट व चौडाई 25 फुट 4 ईच होनी चाहिए थी व आ0ख0नं0 429/518 के बाद दक्षिण दिशा में पक्की सड़क (कोठी नारायणपुर से महुआ रोड) को छोडकर आ0ख0नं0 वर्तमान 429 की तरमीम, संपरिवर्तन नक्शा के मुताबिक चौडाई 17 मीटर व लम्बाई 44 मीटर होनी चाहिए थी। वर्तमान आ0ख0नं0 429/518 व वर्तमान आ0ख0नं 429 के मध्य (बीच की) दूरी संपरिवर्तन नक्शे में सड़क मध्य से दूरी क्रमशः 75 फूट व विपरित दिशा में 70 फुट कुल 145 फुट की दूरी है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शें में गलत की गई है।श्रीमान से निवेदन है कि उक्त आराजी खसरा नम्बरान 429/518/0.04 व 429/0.05 हैक्ट0 गै0मु0 आबादी जो हाल नक्शे में सम्परिवर्तित नक्शे के

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

खिलाफ तरमीम किया हुआ है। उसे संपरिवर्तन नक्शों व मौके पर बसी आबादी (जो कि मौके पर संपरिवर्तित नक्शो के अनुसार ही बसी हुई है।) के अनुसार तरमीम दुरूस्ती करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार राजगढ से जांच रिपोर्ट तलब करने के आदेश जारी किये गये। रिपोर्ट तहसीलदार राजगढ प्राप्त होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन व तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट के अवलोकन से यह तथ्य साबित हुए कि प्रकरण में आराजी विवादित को लेकर अन्य सहखातेदारों का भी हित निहित है। जिन्हें प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए सहखातेदारों का आराजी बाबत हित निहित पाये जाने के कारण उन्हें प्रार्थना पत्र में वास्ते सुनवाई हेतु पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिनांक 31.05.2024 को जारी किये गये जिसके बाबत संशोधित टाईटल पेश हुआ तथा उन्हें वास्ते सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किये जाने के आदेश जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2,5,6 उपस्थित न्यायालय आये तथा अप्रार्थी संख्या 3,4 बाद सूचना न्यायालय उपस्थित नहीं आने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल की गई। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों को स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते अवगत करवाया व उनकी ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। बहस में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि भूमि अवाप्ति अनुमोदन दिनांक 31.05.1994 की कार्यवाही से पूर्व ही खसरा नम्बर 429/0.35, 430/0.35 के 1/4 हिस्से अर्थात 0.875–0.875 वर्गमीटर के स्वामी पूर्व खातेदार लीलाराम पुत्र बीरबल द्वारा मूलचंद पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ को खसरा नम्बर 429/0.35, में से 0.04 व खसरा नम्बर 430/0.35 में से 0.03 हैक्टेयर भूमि जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 18.08.1993 से बेचान किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 01.09.1993 से दर्ज होकर स्वीकृत हुआ है। जिसमें से खसरा नम्बर 429 में से खरीदा गया 0.04 हेक्टेयर भूमि का मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी कोठी नारायणपुर के नाम तितम्बा खसरा नम्बर 429/518 रकबा 0.04 तथा खसरा नम्बर 430 के अन्य सहखातेदारों के बटे खसरा नम्बर कायम करते हुए खरीददार मूलचन्द पुत्र चन्दर के नाम खसरा नम्बर 430 रकबा 0.03 हैक्टेयर कायम कर दर्ज रिकार्ड किया गया अपने समर्थन में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी संवत 2061–64 पर ध्यान आकर्षित करवाया। क्रेता प्रार्थी के पिता श्री रामस्वरूप शर्मा व रामजीलाल शर्मा को विक्रेता मूलचन्द पुत्र चन्दर द्वारा खसरा नम्बर 429/518 को विक्रय करने से पूर्व ही दिनांक 14.12.1995 को तहसीलदार राजगढ के संपरिवर्तन आदेश दिनांक

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

14.12.1995 से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश मय प्रमाणित नक्शा प्राप्त कर करने का कथन करते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पिता रामस्वरूप शर्मा व रामजीलाल शर्मा द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 429/518 रकबा 0.04 हैक0 वाके ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जो आराजी विक्रेता खातेदार मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी ग्राम कोठी नारायणपुर की तहसीलदार राजगढ के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 14.12.1995 से संपरिवर्तित आराजी थी। उस 0.04 हैक्टेयर आराजी को संपरिवर्तन आदेश व संपरिवर्तन नक्शे के अनुसार रकबा सडक सरकारी के तरफ उत्तर को सडक के पूर्व–पश्चिम 172 फुट व उत्तर–दक्षिण चौडाई 25 फुट 4 ईंच को दिनांक 16.12.1995 को जरिये रजि0 बयनामा रामस्वरूप शर्मा द्वारा 2431.68 वर्ग फुट व रामजीलाल द्वारा 1925.08 वर्ग फुट संयुक्त रूप से क्रय की गई थी। उक्त बयनामें में संपरिवर्तन आदेश व नक्शे की सीमाओं का विस्तृत वर्णन भी किया गया है। उक्त बयनामें के आधार पर क्रेता के नाम नामान्तकरण भी दर्ज हो चुका है। उक्त आराजी के प्रार्थी के पिता रामस्वरूप के साथ संयुक्त क्रेता रामजीलाल का 1925.08 वर्ग फुट हिस्सा भी प्रार्थी के पिता रामस्वरूप द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 27.10.2005 को क्रय कर लिया गया था। जिसका भी नामांतकरण प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज व स्वीकार हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थी का पिता रामस्वरूप आराजी खसरा नम्बर 429/518 रकबा 0.04 किस्म गै0मु0 आबादी (400 वर्ग मीटर) कुल आराजी का खातेदार दर्ज हो गया। आराजी विवादित जो आवासीय संपरिवर्तित आराजी थी पर खरीद से ही प्रार्थी के पिता द्वारा पक्का आवास बनाकर काबिज रहे तथा उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थी अपने परिवार सहित उक्त आराजी पर रहवास करते आ रहे है व आज भी रह रहे व काबिज है तथा आराजी वर्तमान रिकार्ड में गै0मु0 आराजी दर्ज है।

बहस में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि वर्तमान नक्शे में जो प्रार्थी के पिता के द्वारा संपरिवर्तित आराजी खसरा संख्या 429/518 रकबा 0.04 (400 वर्गमीटर) जो क्रय की गई उसे संपरिवर्तित नक्शे के विपरित तरमीम की गई है।

के मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी 2069–2075 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018) के आराजी खसरा नं0 429 रकबा 0.05 हैक्ट0 गै0मु0 आबादी ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ जिला अलवर गोविन्दा, बांकेलाल, मोहरपाल पुत्रान बीरबल, हिस्सा 3/4 जाति मीना सा0 देह, नारायण पुत्र पांचुराम हि0 1/8 जाति बैरवा पूर्णमल सा0 भाखरी खातेदार के नाम दर्ज है। वर्तमान नक्शा ग्राम डाबला मीना में प्रार्थी के आ0ख0नं0 429/518 के पूर्व दिशा में लगते हुए आ0ख0नं0 429 की तरमीम कर रखी है जो मौका व संपरिवर्तन नक्शा के अनुसार नहीं कर रखी है। संपरिवर्तन नक्शा व मौके के अनुसार आ0ख0नं0 429/518 की तरमीम मूल ख0नं0 429 की उत्तरी मेड पर सड़क के तरफ उत्तर में लम्बाई पूर्व–पश्चिम 172 फुट व चौडाई उत्तर दक्षिण 25 फुट 4 ईंच होनी चाहिए थी व आ0ख0नं0 429/518 के बाद दक्षिण दिशा में पक्की सड़क (कोठी नारायणपुर से महुआ रोड़) को छोडकर आ0ख0नं0 वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला-अलवर

429 की तरमीम, तहसीलदार राजगढ द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश व नक्शा दिनांक 10.06. 1994 के मुताबिक चौडाई 17 मीटर व लम्बाई 44 मीटर होनी चाहिए थी। वर्तमान आ0ख0नं0 429/518 व वर्तमान आ0ख0नं 429 के मध्य (बीच की) दूरी संपरिवर्तन नक्शे में सड़क मध्य से दूरी क्रमशः 75 फूट व विपरित दिशा में 70 फुट कुल 145 फुट की दूरी है।

उक्त दोनों खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शें में गलत की गई है। जबकि प्रार्थी के पिता व प्रार्थी संपरिवर्तित नक्शे के मुताबिक आराजी पर अपना आवास बनाकर रहवास करते चले आ रहे है। अप्रार्थी खसरा नं0 429 के क्रेता द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र तथ्यों को स्वीकार करते हुए तरमीम दुरूस्त करने में अपनी पूर्ण सहमति अपने जवाब में प्रकट की गई है।

तहसीलदार राजगढ की भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जो संलग्न पत्रावली है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में निम्न दस्तावेज भी पेश किये है। जिनमें अंकित इंद्राज से प्रार्थना पत्र प्रार्थी तथ्यों की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। प्रस्तुत दस्तावेज का विवरण निम्न प्रकार है।

1. आराजी खसरा नं0 429 रकबा 0.05 हैक्ट0 किस्म गै0मु0 आबादी व 429/518 गै0मु0 आबादी, 429/519,430 वाके ग्राम डाबला मीना हाल जमाबंदी 2069–2075 जमाबन्दी 2074 (वर्ष 2018)
2. भू–संपरिवर्तन आदेश दिनांक 10.06.1994 नक्शे सहित जिसके अनुसार ख.नं. 429/0.05 के खातेदार काबिज है।
3. भू–संपरिवर्तन आदेश दिनांक 14.12.1995 नक्शे सहित जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज है।
4. हाल नजरी नक्शा प्रमाणित प्रति
5. रजि0 बयनामा दिनांक 18.08.1993 व जिसका नामान्तकरण संख्या 25 स्वीकृत दिनांक 01.09.1993
6. रजि0 बयनामा दिनांक 16.12.1995 व बयनामा दिनांक 19.10.2005
7. नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 27.02.1993

अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करने का निवेदन किया।

मैने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया पत्रावली व तहसीलदार राजगढ रिपोर्ट व प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजात का पूर्ण मनोयोग के साथ अवलोकन किया।

- प्रकरण में आराजी विवादित खसरा नम्बर 429 रकबा 0.35 व 430 रकबा 0.35 हैक्टेयर वाके ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ का 1/4 हिस्से का अर्थात 0.875–0.875 वर्गमीटर के स्वामी पूर्व खातेदार लीलाराम पुत्र बीरबल जाति मीना खातेदार था उक्त तथ्य की पुष्टि प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 19 दिनांक 27.02.1993 से होती है ।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

- लीलाराम पुत्र बीरबल की खातेदारी 1/4 हिस्सा खसरा नम्बर 429 व 430 में से मूलचंद पुत्र चन्दर जाति मीणा द्वारा बयनामा दिनांक 18.08.1993 से खसरा नम्बर 429 का रकबा 0.04 हेक्टेयर व 430 का 0.03 हेक्टेयर क्रय किया है जिसका नामान्तकरण संख्या 25 दिनांक 01.09.1993 से स्वीकार हुआ है यह तथ्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बयनामा व नामान्तकरण से साबित है तथा अप्रार्थी संख्या 5–6 द्वारा अपने जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेज स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 34 स्वीकृत दिनांक 31.07.1994 में खसरा नम्बर 429 मिन रकबा 0.31 हैक्टेयर से यह भी साबित होता है कि खसरा संख्या 429/0.35 हेक्टेयर में से अपने 1/4 हिस्से का 0.04 हेक्टेयर बेचान करने के बाद खसरा संख्या 429 का रकबा 0.31 हो गया है।
- प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश दिनांक 14.12.1995 से यह तथ्य प्रार्थी साबित है कि उक्त आदेश से मूलचन्द पुत्र चन्दर जाति मीना निवासी कोठीनारायणपुर को आराजी खसरा नम्बर 429 रकबा 0.04 हेक्टेयर अर्थात 400 वर्गमीटर जो संपरिवर्तन नक्शे के अनुसार आ0ख0नं0 429 की तरमीम सड़क के तरफ उत्तर में लम्बाई पूर्व–पश्चिम 172 फुट व चौडाई उत्तर दक्षिण 25 फुट 4 ईंच है, को अपने नाम तहसीलदार राजगढ से प्राप्त कर लिया था। जो प्रस्तुत संपरिवर्तन आदेश व नक्शे से साबित है
- उक्त संपरिवर्तित आराजी को प्रार्थी के पिता रामस्वरूप द्वारा जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 16.12.1995 व बयनामा दिनांक 19.10.2005 से क्रय किया जाना भी प्रस्तुत बयनामों से साबित है।
- अप्रार्थी संख्या 5–6 द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर जवाब प्रस्तुत कर तथ्य प्रार्थी प्रार्थना पत्र सही होना स्वीकार किया है तथा कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजी के अतिरिक्त खसरा नम्बर 429 की भूमि के सभी हिस्सेदार खातेदार अपने हिस्से की आराजी पर काबिज है और कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी की आराजी से उनका कोई तालूक व वास्ता नहीं है। मुताबिक मौके व संपरिवर्तन नक्शे के अनुसार नक्शे में तरमीम दुरूस्त किये जाने में हमारी पूर्ण सहमति है।
- शेष अप्रार्थी संख्या 2–4 द्वारा बावजूद सूचना पैरवी नहीं की गई। तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसीलदार राजगढ की रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र वावत तथ्य पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किये गये है परंतु प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि में जो प्रार्थी की ओर से जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है उससे यह तथ्य स्पष्ट रूप से साबित है कि प्रार्थी के पिता ने विक्रेता मूलचन्द पुत्र चन्दर से आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को जरिये रजि0 बयनामा क्रय की गई है जिसके बयनामे में संपरिवर्तित आदेश व नक्शे में दर्शाई लम्बाई–चौडाई का भी विस्तृत रूप से उल्लेख है तथ्य प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित है। प्रार्थी का यह कथन भी प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला-अलवर सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

दस्तावेज के अवलोकन से साबित होता है कि प्रार्थी के पिता द्वारा क्रय--शुदा संपरिवर्तित आराजी विवादित का जो हाल नक्शे में खसरा नम्बर 429/518 रकबा 0.04 बनाया जाकर नक्शे में जो तरमीम किया गया है वह खिलाफ संपरिवर्तन आदेश व नक्शे के किया गया है। जो काबिल दुरूस्ती योग्य पाया जाता है।

- जैसा कि अप्रार्थी संख्या 5--6 के जवाब जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र सही होना स्वीकार किया है । इस प्रकार प्रार्थी की ओर से मुख्यतयः प्रस्तुत दस्तावेज संपरिवर्तन आदेश व नक्शा दिनांक 14.12.1995 व बयनामा दिनांक 16.12.1995 व बयनामा दिनांक 19.10.2005 से प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 131 एवं 136 सहपठित धारा 166 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 429/518 रकबा 0.04 (400 वर्गमीटर) किस्म गै0मु0 आबादी वाके ग्राम डाबला मीना तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो संपरिवर्तित आदेश व नक्शा दिनांक 14.12.1995 जिसका विवरण निम्न प्रकार है सड़क के तरफ उत्तर में लम्बाई पूर्व-पश्चिम 172 फुट व चौडाई उत्तर दक्षिण 25 फुट 4 ईंच के अनुसार तथा आ0ख0नं0 429/518 के बाद सड़क के दक्षिण दिशा में आ0ख0नं0 वर्तमान 429 रकबा 0.05 हैक्टेयर की तरमीम, संपरिवर्तन नक्शा के मुताबिक हाल नक्शे में दुरूस्त करने की कार्यवाही कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावे। तहसीलदार राजगढ को न्यायालय की पालना हेतु प्रति निर्णय भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 07-01-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ
जिला-अलवर

उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते